दैनिक भास्कर 16
इंदौर, शनिवार, 17 जनवरी, 2015

गलत मैसेज दोस्त को फारवर्ड करना भी जुर्म

साइबर क्राइम पर व्याख्यान 1200 के लगभग स्टूडेंट्स शामिल हुए, पीआरटीएस आईजी ने किया सीधा संवाद

भास्कर संवाददाता | देवास

सर, क्या एथिकल (नैतिक) हैकिंग भी होती है.. यदि कोई हमारे वाट्सएप या फेसबुक पर गंदे मैसेज भेजता है तो हम इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं.... यदि किसी ने हमें गलत मैसेज भेजा और हमने उसे दोस्तों को फारवर्ड कर दिया तो क्या वह जुर्म की श्रेणी में आएगा।

ये ज्वंलत सवाल देवास के स्टूडेंट्स ने पूरे विश्वास के साथ पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) के आईजी वरुण कपूर से एक-एक कर पूछे। जवाब भी रोचक अंदाज में मिला। आईजी कपूर ने बच्चों से कहा कि हैकिंग चोरी है और चोरी तो चोरी है। इसमें अच्छे या बुरे का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। साइबर क्राइम के तहत वाट्सएप या फेसबुक पर भड़काऊ या गलत मैसेज भेजने पर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। गलत मैसेज फारवर्ड करना भी उसी श्रेणी में आता है। जवाबों के बीच आईजी ने जनरल नॉलेज के लिहाज से बच्चों से सवाल पूछे। कुछ के जवाब मिले, कुछ के नहीं तो उसे प्रोजेक्टर के जरिए विस्तार से समझाया। स्टेडियम में 18 स्कूलों के करीब 1200 विद्यार्थी बैठे थे। अच्छे सवाल पूछने पर कुछ विद्यार्थियों को आईजी कपूर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया।

साइबर क्राइम से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पीआरटीएस आईजी वरुण कपूर ने स्कूली बच्चों से संवाद कर सवाल-जवाब किए।

शहर में अपने तरह का पहला कार्यक्रम

पुलिस द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरुक करने के लिए यह अपने तरह का पहला कार्यक्रम आयोजित किया है। पूर्व में ट्रैफिक व अन्य सामान्य जानकारियों से जुड़ा प्रचार-प्रसार होता रहा है, यह पहला मौका जब फेसबुक और वाट्सएप के युग में साइबर क्राइम को लेकर शहर के स्टूडेंट्स में खुलकर संवाद किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन आईजी मधुकुमार, कलेक्टर आशुतोष अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरितासिंह, एसपी अभयसिंह, निगम कमिश्नर हिमांशुसिंह, डीईओ रामेश्वर खेड़े आदि मौजूद थे।